छत्तीसगढ़ शासन

वित्त वाणिज्यक कर, योजना, आर्थिक एवं

संाख्यिकी तथ I20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

रायपुर दिनांक 03/05/2001

क्रमांक/एफ-10/39/2001/ वा. कर / (पं) / पांच भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का सं. 2) की धारा -47 ''क'' के साथ पठित धारा -75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एदत द्वारा छत्तीसगढ़ लिखितों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम -1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 3 ख के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जावे, अर्थात-

परन्तुक यह कि स्थावर सम्पत्ति के संबंध में कोई लिखित जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अर्थ सरकारी संगठन या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित की गई है तो उसका रजिस्ट्रीकरण लिखित में उल लेखित राशि का पूर्ण भुगतान करने की तारीख से छ: माह के भीतर किया जायेगा और यदि संम्पति का स्वामी लिखित का रजिस्ट्रीकरण इस अवधि में नही करता है तो लिखित के रजिस्ट्रीकरण में प्रचलित बाजार मूल्य का सिद्धांत लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(के. आर. मिश्रा)

उप साचिव

वित्त, वाणिज्य कर, विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

Government of Chhattisgarh
Finance ,Commercial Tax, Planning, Economic and Statistic & 20 Point Programme Implementation Department
Mantralaya

NOTIFICATION

Raipur, dated 03/05/2001

No. f-10/39/2001/C.T. (R)/V- In exercise of the powers conferred by Section 75, read with Section 47-A, of Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) the State Government, hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Prevention of under valuation of Instruments Rules, 1975, namely:-

AMENDMENT

In the said rules -

After rule 3-B the following provision shall be inserted, namely -

" Provided that any instrument, which is executed in respect of immovable property by or on behalf the Central Government or the State Government or Semi Government Organization or Government undertaking, shall be registered within the period of 6 months from the date of full payment of amount mentioned in the instrument and if the owner of the property fails to register the instrument, the principle of prevalent market value shall be applicable in the registration of the instrument.

By order and in the name
of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy Secretary
Finance, Commercial Tax, Department
Government of Chhattisgarh